इन्दिरा आवास योजना

ग्रामीण आवासहीन रोजगार गारण्टी प्रोग्राम (RLEGP) के अन्तर्गत सबस्कीम के रूप में इन्दिरा आवास योजना जून 1985 में प्रारम्भ हुयी थी अर्थात् इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत फण्ड की व्यवस्था (RLEGP) के अन्तर्गत की गयी। दिनांक 01 जनवरी 1996 से योजना को स्वतन्त्र योजना के रूप में लान्च किया गया। इस योजना का उद्देष्य गरीब एवं आवासहीन व्यक्तियों को आवास की मूल आवष्यकता की पूर्ति हेतु आवास निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराना था। वर्ष 2002 में बी0पी0एल0 सूची तैयार हो जाने के उपरान्त योजना का मानक बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची माना गया। बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर आवासहीन,कच्चे आवास आदि की वरीयता के आधार पर स्थायी पात्रता सूची बनायी गयी तथा प्रत्येक वर्ष आवण्टित लक्ष्य के अनुसार वरीयता क्रम में आवासों का आवण्टन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 से इन्दिरा आवास की इकाई लागत 70,000 रू. निर्धारित है जो कि दो किष्तों में लाभार्थी को दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद का कुल भौतिक लक्ष्य 997 निर्धारित हुआ है जिसमें अनु0जाति/जनजाति हेतु 802 तथा अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु 195 का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में कुल 14 पात्र लाभार्थी चिहिन्त किये गये हैं। जनपद को वित्तीय वर्ष 2014–15 में कोई धनराषि अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

दिनांक 01.04.2014 को जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत 42,16,588 रू. की धनराषि अवषेष थी जिसमें से 76,250 रू. की धनराषि गत वर्षों की द्वितीय किष्त के रूप में लाभार्थियों को निर्गत कर व्यय किया गया है। दिनांक 18 सितम्बर 2014 तक प्राप्त ब्याज के बाद अंकन 41,56,925 रू. का बैंक ड्राफ्ट मुख्यालय पर वापस कर दिया गया है तथा दिनांक 30.09.2014 को योजनान्तर्गत संचालित खाते में 98,602 रू. की धनराषि अवषेष उपलब्ध है।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>इन्दिरा आवास योजना</u>

ग्रामीण आवासहीन रोजगार गारण्टी प्रोग्राम (RLEGP) के अन्तर्गत सबस्कीम के रूप में इन्दिरा आवास योजना जून 1985 में प्रारम्भ हुयी थी अर्थात् इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत फण्ड की व्यवस्था (RLEGP) के अन्तर्गत की गयी। दिनांक 01 जनवरी 1996 से योजना को स्वतन्त्र योजना के रूप में लान्च किया गया। इस योजना का उद्देष्य गरीब एवं आवासहीन व्यक्तियों को आवास की मूल आवष्यकता की पूर्ति हेतु आवास निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराना था। वर्ष 2002 में बी0पी0एल0 सूची तैयार हो जाने के उपरान्त योजना का मानक बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची माना गया। बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर आवासहीन,कच्चे आवास आदि की वरीयता के आधार पर स्थायी पात्रता सूची बनायी गयी तथा प्रत्येक वर्ष आवण्टित लक्ष्य के अनुसार वरीयता क्रम में आवासों का आवण्टन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 से इन्दिरा आवास की इकाई लागत 70,000 रू. निर्धारित है जो कि दो किष्तों में लाभार्थी को दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद का कुल भौतिक लक्ष्य 997 निर्धारित हुआ है जिसमें अनु0जाति/जनजाति हेतु 802 तथा अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु 195 का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में कुल 14 पात्र लाभार्थी चिहिन्त किये गये हैं। जनपद को वित्तीय वर्ष 2014–15 में कोई धनराषि अभी प्राप्त नहीं हुयी है परन्तु गत वर्षो की अवषेष धनराषि से 14 लाभार्थियों को प्रथम किष्त के रूप में 35,000 रू0 प्रति लाभार्थी की दर से धनराषि अवमुक्त कर दी गयी है।